न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 35/2025

1. श्री चम्पालाल पुत्र भंवरलाल जाति जीनगर निवासी ग्राम रलावता तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।
2. श्री जितेन्द्र पुत्र श्री भंवरलाल जाति खटीक निवासी ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।

.......अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर।

......अप्रार्थीगण

———

(अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण सं 8/2025 बउनवानी सरकार बनाम चम्पलाल में दिये गये निर्णय दिनांक 18.08.2025)

उपस्थित :– 1. श्री हसन खान, वकील अपीलान्ट।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक।

–: आदेश :–

दिनांक :– 01.04.2026

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि यह अपील, तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण सं 08/2025 उनवानी सरकार बनाम चम्पालाल में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

पटवारी हल्का ग्राम रूपनगढ़ ने तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष दिनाक 16.07.2025 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि श्री चम्पालाल पुत्र श्री भंवरलाल व श्री जितेन्द्र पुत्र श्री भवंरलाल द्वारा ग्राम रूपनगढ़ के खसरा नम्बर 4350/3849 किस्म कब्रिस्तान रकबा 0.8100है0 में से 72 वर्गमीटर भूमि पर पक्की दुकान बनाकर कब्जा कर लिया है। न्यायालय तहसीलदार रूपनगढ़ ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को सुनवाई के अवसर दिये बिना ही दिनांक 18.08.2025 को 50रू. जुर्माना आरोपित करते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश दिनांक 18.08.2025 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का ग्राम

अपर कलक्टर
अजमेर

रूपनगढ़ ने ग्राम रूपनगढ़ के खसरा नम्बर 4350/3849 किस्म कब्रिस्तान में से 72 वर्गमीटर भूमि पर श्री चम्पालाल व श्री जितेन्द्र द्वारा पक्की दुकान बनाकर कब्जा करने बाबत रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष दिनांक 18.07.2025 को प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय तहसीलदार रूपनगढ़ ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर तारीख पेशी दिनांक 29.07.2025 नियत थी। उक्त दिनांक को श्री जितेन्द्र ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा। आगामी तारीख दिनांक 05.08.2025 को अपीलान्टस के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.08.2025 को वकील अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु इसके उपरान्त भी तहसीलदार रूपनगढ़ ने आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.08.2025 नियत कर उक्त दिनांक को वकील अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया। उन्होने कथन किया कि तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपीलान्ट को सुनवाई को पर्याप्त अवसर दिये बिना ही दिनांक 18.08.2025 को आक्षेपित आदेश पारित कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा वर्षों से दुकान निर्मित कर रखी है तथा इसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। यदि अपीलान्ट को बेदखल किया जाता है तो अपीलान्टस को आर्थिक एवं मानसिक क्षति होगी जिसकी भरपायी किया जाना संभव नहीं है। उन्होने निवेदन किया कि अपील स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 18.08.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 के तहत की जाने वाली कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम रूपनगढ़ की विवादित भूमि खसरा नम्बर 4350/3849 रकबा 8100 वमी राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान की भूमि है तथा इसके 72 वर्गमीटर भाग पर अपीलान्ट ने पक्की दुकान निर्मित कर कब्जा कर रखा है। उक्त अतिक्रमण के विरूद्ध पटवारी रूपनगढ़ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर न्यायालय तहसीलदार रूपनगढ़ ने प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी को प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये गये। अपीलान्ट व वकील अपीलान्ट प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 18.08.2025 बाबत सूचित थे परन्तु नियत तिथि को अपीलान्ट तथा उनके अभिभाषक दोनों ही अनुपस्थित रहने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट पर जुर्माना आरोपित करते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिये। उन्होने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा किया गया है, अतः तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप ही ही।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया तथा लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम रूपनगढ़ के खसरा नम्बर 4350/3849 में से 72 वर्गमीटर भूमि पर पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 18.08.2025 से पूर्व अपीलान्ट या उनके अभिभाषक सभी तारीख पेशी पर उपस्थित हुए थे परन्तु दिनांक 18.08.2025 को ही वे या उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहे, जिसके आधार पर तहसीलदार रूपनगढ़ ने एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया क्योंकि अपीलान्ट तथा वकील अपीलान्ट इससे पूर्व की तारीख पेशी पर उपस्थित हुए थे तथा उन्हें तारीख पेशी दिनांक 18.08.2025 की सूचना भी थी।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी श्री चम्पापलाल द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (*विरुद्ध तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण सं 08/2025 उनवानी सरकार बनाम चम्पालाल में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2025*) को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ के आक्षेपित आदेश दिनांक 18.08.2025 को यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा सरे इलियाज सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर,
अजमेर